राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 16 / 2017 जीसीएमएस नम्बर :– 2017 / 00016

1. गीता देवी पत्नी श्री बलवीर उम्र 33 वर्ष जाति जाट निवासी 96 न्यू रोशनपुरा नई दिल्ली

...........वादीया

– बनाम –

1. उम्मेद सिंह, 2. धर्मवीर — पुत्रान अमीलाल जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. नवीन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
4. तारामणी पत्नी श्री वेदपाल
5. राजपाल सिंह, 6. उदयपाल सिंह, 7. हरविन्द्र सिह — पुत्रान वेदपाल सिंह
8. सुमेर बाला पुत्री वेदपाल सिंह, 9. अमृतकोर पत्नी श्री रणजीत सिंह, 10. अरविन्द पुत्र श्री रणजीत सिंह — जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुन
11. तहसीलदार लैण्ड होल्डर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

..............प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा – खाता विभाजन , स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10.1.25

वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम ठोठवाल तहसील बुहाना जिला झुन्झुन में वादीया के 3 / 10 हिस्सा की खातेदारी की कृर्षि भूमि ख.न. 16 रकबा 2.36 हैक्टर ख.न. 17 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 18 रकबा 1.73 हैक्टर ख.न. 19 रकबा 0.55 हैक्टर ख.न. 119 रकबा 0.13 हैक्टर किता 5 रकबा 4.82 हैक्टर स्थित हैं। इस भूमि में वादीया का 3 / 10 हिस्सा हैं। जिस पर वह खरीद कर काबिज एवं खातेदार हैं।
2. यह कि वादीया का इस भूमि में 3 / 10 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1 / 5 हिस्सा प्रतिवादी स. 3 का 1 / 5 हिस्सा प्रतिवादी स. 4 लगायत 8 का 1 / 10 हिस्सा प्रतिवादी स. 9 व 10 का 1 / 5 हिस्सा हैं सभी खातेदार अपने – अपने हिस्से पर

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

काबिज हैं वादीय का हिस्सा सड़क के पास मे हैं। इस कारण वादीया ने स्टाम्प डयूटी भी अधिक दी हैं।

3. यह कि वादीया अपने 3/10 हिस्सा की खातेदार हैं लेकिन वह दिल्ली की रहने वाली हैं अपने हिस्सा की भूमिको सीमाये कायम रखने व इस भूमिको अन्यत्र संपरिवर्तित करवाने मे उसे भारी परेशानी हैं उसने प्रतिवादी स.1 लगायत 10 को इस भूमि के खाता विभाजन हेतु कहा तो कभी कोई नही आता कभी कोई नही आता एवं टालमटोल करते हैं इस भूमि का खाता संयुक्त रहने से वादीया को भारी परेशानी हैं।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि की वादीया 3/10 हिस्सा की खातेदार हैं लेकिन उसका खाता संयुक्त रहने से उसे ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं इसलिए वादीया के लिए अपने हिस्सा की भूमिका खाता विभाजन हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि–

(क). कि वाके ग्राम ठोठवाल तह. बुहाना स्थित भूमि ख.न. 16 रकबा 2.36 हैक्टर ख.न. 17 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 18 रकबा 1.73 हैक्टर ख.न. 19 रकबा 0.55 हैक्टर ख.न. 119 रकबा 0.13 हैक्टर किता 5 रकबा 4.82 हैक्टर में वादीया के 3/10 हिस्सा का सीमाकन एवं नपति कर विभाजन किया जाकर लगान अलग से कायम कर विभाजन मे वादीया के हिस्से में आने वाली भूमि पर सीमांकन व नपति (By meets and Bound) कर स्वतन्त्र रूप से वादीया का कब्जा करवाये जाने कि कृपा करें।

(ख). कि प्रतिवादी स.1 लगायत 10 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वाके ग्राम ठोठवाल स्थित भूमि ख.न. 16 रकबा 2.36 हैक्टर ख.न. 17 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 18 रकबा 1.73 हैक्टर ख.न. 19 रकबा 0.55 हैक्टर ख.न. 119 रकबा 0.13 हैक्टर किता 5 रकबा 4.82 हैक्टर मे वादीया के 3/10 हिस्सा के कब्जा कास्त उपयोग – उपभोग मे बाधा कारित नही करे इसमे किसी प्रकार का कच्चा , पक्का निर्माण नही करे इसमे खड़े पेड़ो को नही काटे इसमे मिट्टी खुदाई नही करे , गढ़ढे आदि नही करें ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करवायें।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 23.09.2019 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.01.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 465 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 3184 दिनांक 23.10.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम ठोठवाल स्थित भूमि हाल खाता संख्या 42 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

'' न्यायालय वाद वादीया बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ठोठवाल तह. बुहाना स्थित भूमि ख.न. 16 रकबा 2.36 हैक्टर ख.न. 17 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 18 रकबा 1.73 हैक्टर ख.न. 19 रकबा 0.55 हैक्टर ख.न. 119 रकबा 0.13 हैक्टर किता 5 रकबा 4.82 हैक्टर में वादीया का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 10/1/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः–
पंकज शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 16 / 2017
जीसीएमएस नम्बर :– 2017 / 00016

गीता देवी **बनाम** उम्मेदसिंह आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिीत मे एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थित में इस वाद को **श्री पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

'' न्यायालय वाद वादीया बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ठोठवाल तह. बुहाना स्थित भूमि ख.न. 16 रकबा 2.36 हैक्टर ख.न. 17 रकबा 0.05 हैक्टर ख.न. 18 रकबा 1.73 हैक्टर ख.न. 19 रकबा 0.55 हैक्टर ख.न. 119 रकबा 0.13 हैक्टर किता 5 रकबा 4.82 हैक्टर में वादीया का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.1.25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

10.1.25
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना